न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :— 497 / 2015—16

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा — 46)

प्रद्योत कुमार — विक्रेता

जुलतन टूटी — क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
25.08.18	(see below)	

आदेश

आवेदक प्रद्योत कुमार पिता स्व0 एरियल कुमार ग्राम अमृतपुर कदमा, थाना खूँटी, जिला खूँटी, जाति चीक बड़ाईक ने जुलतन टूटी पति रोशन टूटी ग्राम पतराटोली, थाना खूँटी, जिला खूँटी, जाति मुण्डा के साथ निम्नलिखित भूमि के वि क्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड़ में)
अमृतपुर कदमा	84	23	249	0.13

आवेदक अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र, खतियान एवं लगान की रसीद सं0 056156 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 536 दिनांक 03.07.17 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम मासी पाहन वगैरह हैं। पंजी II के अनुसार एरियल कुमार वगैरह के नाम रकवा 2.89½ एकड़ भूमि है। आवेदक के पास रकवा 2.89½ एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2015—16 तक किया गया है। भूमि का न्युनतम प्रस्तावित दर 62538.00(बासठ हजार पाँच सौ अड़तीस)रू0 प्रति डीसमिल है। इस भूमि के वि क्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि वि क्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 2.76½ एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं वि क्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एंव एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु वि क्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने आवेदक क्रे ता — वि क्रेता को भूमि क्रय—विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण प्रद्योत कुमार पिता स्व0 एरियल कुमार को जुलतन टूटी पति रोशन टूटी के साथ ग्राम कदमा के खाता सं0 23 खेसरा संख्या 249 का रकबा 0.13 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 62538.00(बासठ हजार पाँच सौ अड़तीस)रूपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि वि क्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

25/08/17

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

25/08/17

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।